तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6.1.23	वकील वादी द्वारा अर्जेन्ट सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर आज दिनांक 6-1-23 को पत्रावली तलब की गई। वकील प्रतिवादी इप्र.। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते वाद को निर्णीत किये जाने बाबत पेश किया। वादी व प्रतिवादी न्यायालय मे उपस्थित होकर वाद को निर्णीत करने मे उन्नापत्ति व्यक्त की। वकील वादी उक्त वाद को आगे जारी करना उचित नही समझते है। अतः वकील वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद को निर्णीत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 6-1-2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

Scanned by CamScanner